



**जोधपुर विद्युत
वितरण निगम
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु)/अ.अ.(आर.ए.-सी)/फा /प्रे.


1985 दि. 31.12.19

आदेश

विषय: कृषि उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के भुगतान हेतु सरलीकृत योजना।

कृषि उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आदेश सं. 1790 दिनांक 06.12.2019 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-931) के द्वारा बकाया बिलों के भुगतान हेतु सरलीकृत योजना लागू की गई थी। उपरोक्त योजना दिनांक 31.12.2019 तक प्रभावी थी।

अधिक से अधिक कृषि उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उपरोक्त योजना की तिथि 31.01.2020 तक बढ़ाई जाती है। योजना की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

आज्ञा से


(एस. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता(आर.ए-सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर